संख्या–682 / पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी**, उ0प्र0।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी**, उ0प्र0।
3. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक**, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ दिनॉक 23 मार्च, 2020**

विषयः–उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड–19) की रोकथाम एवं उपचार हेतु चिकित्सालयों का चिन्हीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में **कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड–19) के प्रकोप** की गम्भीरता को देखते हुए इसकी रोकथाम किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में सम्भावित परिस्थिति के दृष्टिगत कोविड–19 का उपचार करने वाले चिकित्सालयों को निम्नलिखित 03 स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है।

1. **स्तर –1** :

प्रदेश के 75 जनपदों में से प्रत्येक में, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (जो कम से कम 30 शैय्यायुक्त होगा) को स्तर–1 कोविड–19 उपचार चिकित्सालय के रूप में परिवर्तित किया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इन चिन्हित चिकित्सालयों में यथासंभव शैय्या की संख्या और अधिक बढ़ाई जा सकती है। इन चिकित्सालयों में ऐसे कोविड–19 ग्रस्त रोगियों का उपचार किया जाएगा जिन्हें वेन्टीलेटर सपोर्ट एवं अन्य आई0सी0यू0 सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। कोविड–19 ग्रसित गम्भीर रूप से बीमार रोगियों को चिन्हित सी0एच0सी0 पर उपलब्ध ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स से उच्च स्तरीय चिकित्सालयों में स्थानान्तरित किया जायेगा। जिलाधिकारियों / मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने–अपने जनपदों में कोविड–19 उपचार समर्पित श्रेणी–1 चिकित्सालय में परिवर्तित की जाने वाली सी0एच0सी0 का चिन्हांकन कर इसकी सूचना ईमेल आई0डी0–covidhospitals@gmail.com पर दिनांक 24 मार्च, 2020 तक निम्नलिखित प्रारूप में प्रेषित की जाएगी :–

जनपद का नाम	कोविड–19 श्रेणी–1 चिकित्सालय के रूप में चिन्हित सी0एच0सी0 का नाम	वर्तमान में उपलब्ध शैय्या की संख्या	क्षमता के अनुसार बढ़ाई जा सकने वाली अतिरिक्त शैय्या की संख्या
1	2	3	4

मुख्य चिकित्साधिकारियों को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे कोविड उपचार समर्पित स्तर–1 चिकित्सालय के रूप में परिवर्तित की जा सकने वाली संभावित अन्य सी0एच0सी0 को भी चिन्हांकित कर लें।

vk sir.go-com4

2. **स्तर–2** : आपातकालीन अन्य मामलों को संभालने/प्रबन्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे यथासंभव मण्डल मुख्यालयों में एक समर्पित चिकित्सा इकाई (स्तर–2) का चिन्हांकन करेंगे यदि समर्पित इकाईयों की स्थापना किसी अपरिहार्य कारणों से संभव न हो तो, मौजूदा जिला चिकित्सालयों में यथा एम0सी0एच0 विंग/ट्रामा वार्ड आदि,जिन्हें विशिष्ट रूप से कोविड उपचार समर्पित स्तर–2 केन्द्र के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है, को चिन्हित करें जिनमें प्रवेश एवं निकास द्वार पृथक–पृथक हो और जहां पर पर्याप्त मात्रा में संक्रमण नियंत्रण संसाधान उपलब्ध हों। आईसोलेशन चिकित्सा इकाई/वार्ड को स्थापित किए जाने के दिशानिर्देश **अनुलग्नक–1 पर** संलग्न हैं।

शैय्या संख्या/क्षमता सहित समर्पित चिकित्सा इकाईयों एवं समर्पित विंग की सूची ईमेल आई0डी0–covidhospitals@gmail.com पर दिनांक 24 मार्च, 2020 तक निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये :–

जनपद का नाम	**कोविड समर्पित स्तर–2 चिकित्सालय के रूप में चिन्हित चिकित्सा इकाई अथवा विंग का नाम**	**उपलब्ध शय्याओं की संख्या**
1	2	3

मुख्य चिकित्साधिकारी इनस्तर–2 की चिकित्सा इकाईयों में पर्याप्त आक्सीजन की आपूर्ति सहित यथासंभव अधिक से अधिक वेन्टीलेटर्स उपलब्ध करायेगें। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाईयों में उपलब्ध वेन्टीलेटर्स की सूचियां क्रमशः **अनुलग्नक–2** एवं **अनुलग्नक–3** पर उपलब्ध है।

3. **स्तर–3** : कोरोना संक्रमण (कोविड–19) से गम्भीर रूप से बीमार रोगियों जिन्हे उच्च स्तरीय सघन देखभाल की आवश्यकता होती है, इन कोविड समर्पित स्तर–3 चिकित्सा इकाईयों में उपचार किया जायेगा।

उक्त गभीर रूप में बीमार रोगियों को ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स से कोविड उपचार समर्पित स्तर–3 केन्द्रों पर ले जाया जायेगा, जो निम्नलिखित निर्दिष्ट चिकित्सा इकाईयों में अवस्थित होगी :–

जनपद का नाम	**मेडिकल कालेज का नाम**	**कोविड–19 रोगियों हेतु उपलब्ध शय्याओं की संख्या**
1	2	3

उक्त के अतिरिक्त, 100–से–अधिक–शैय्या युक्त निजी चिकित्सालयों की जनपदवार सूची **अनुलग्नक–4** पर उपलब्ध है। जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों से अपेक्षित है कि वे अपने–अपने जनपदों में उन निजी चिकित्सालयों को चिन्हित कर ले जिन्हें आवश्यकतानुसार कोविड समर्पित स्तर–2 एवं उच्चतर चिकित्सा इकाईयों में भविष्य में परिवर्तित किया जा सकता है।

4. क्वारेन्टाइन (Quarantine)-

4A. यह आवश्यक होगा कि स्तर–1 एवं स्तर–2 की समर्पित चिकित्सा इकाईयों से लिंक्ड यथा समीपवर्ती स्थल पर क्वारेन्टाइन फैसिलिटी तैयार की जाय। क्वारन्टाइन केन्द्र यथासंभव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही बने। इस प्रकार की क्वारेन्टाइन फैसिलिटी में संदिग्ध व्यक्ति (जिनका कोविड–19) टेस्ट कन्फर्म नहीं हुआ है, जैसे– कि कोविड–19 घोषित व्यक्ति के संपर्क में आये हुए व्यक्ति,

बाहरी देशों से आये हुए व्यक्ति एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अन्तर्गत व्यक्ति हो सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायः

क्रमांक	जनपद का नाम	क्वारेन्टाइनस्थल का नाम	शैय्याओं की संख्या

4B. समर्पित चिकित्सा केन्द्रों पर पर तैनात चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कार्मिकों आदि के क्वारेन्टाइन स्थल की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यथासंभव इस हेतु चिकित्सालय के समीपवर्ती अथवा चिकित्सालय के ऊपरी तल का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। उक्त का भी चिन्हांकन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप पर इसकी सूचना दी जाय–

जनपद का नाम	समर्पित इकाई का नाम	मेडिकल स्टाफ हेतु चिन्हित क्वारेन्टाइन स्थल	शैय्याओं की संख्या

4A एवं 4B में वर्णित क्वारेन्टाइन सेन्टरों में यदि प्रत्येक व्यक्ति के कक्ष अलग–अलग हैं तो संक्रमण के दृष्टिगत सही है। परन्तु यदि अलग–अलग नहीं हैं तो 02 शैय्याओं में मध्य परदे की भी व्यवस्था करते हुए सेन्टर पर आवश्कतानुसार मानव संसाधनों की तैनाती एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय।

5. मानव संसाधनों के मानक :

(i) **स्तर–1 चिकित्सा इकाई–**

- **चिकित्सक** : चाबीसों घण्टे (24x7) अनवरत चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक कोविड समर्पित स्तर–1 चिकित्सा इकाई में 6 चिकित्सक।
- **नर्स** :चाबीसों घण्टे (24x7) अनवरत चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक कोविड समर्पित स्तर–1 चिकित्सा इकाई में 8–10 नर्सें।
- अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को आवश्यकतानुसार तैनात किया जा सकता है।

(ii)**स्तर–2 चिकित्सा इकाई–**

- **चिकित्सक** : चाबीसों घण्टे (24x7) अनवरत चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक कोविड समर्पित स्तर–2 चिकित्सा इकाई में,10% के आरक्षण सहित, 25 शय्याओं पर एक चिकित्सक।
- **नर्स** :चाबीसों घण्टे (24x7) अनवरत चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक कोविड समर्पित स्तर–2 चिकित्सा इकाई में, 10% के आरक्षण सहित, 25 शय्याओं पर 02 नर्सें।
- अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को आवश्यकतानुसार तैनात किया जा सकता है।

6. **तैनाती एवं प्रशिक्षण हेतु चिकित्सकों की सूची :**

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वाराकोविड समर्पित स्तर–1 चिकित्सालयों में तैनात किये जाने वाले सरकारी चिकित्सकों की सूची निम्न प्रारूप में दिनांक 24 मार्च, 2020 तक ईमेल आई0डी0–covidhospitals@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए :–

चिन्हित कोविड समर्पित स्तर–1 चिकित्सालय का नाम	सरकारी चिकित्सक का नाम	इएचआरएमएस कोड
1	2	3

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कोविड समर्पित स्तर–2 चिकित्सालयों में तैनात किये जाने वाले सरकारी चिकित्सकों की सूची निम्न प्रारूप में दिनांक 24 मार्च, 2020 तक ईमेल आई0डी0–covidhospitals@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए :–

चिन्हित कोविड समर्पित स्तर–2 चिकित्सालय का नाम	सरकारी चिकित्सक का नाम	इएचआरएमएस कोड	विशेषज्ञ / एम0बी0बी0एस0	विशेषज्ञ / एल0एस0ए0एस0 का नाम
1	2	3	4	5

मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा कोविड समर्पित स्तर–2 चिकित्सालयों में एनेस्थेटिस्ट, एल0एस0ए0एस0एवं अन्य चिकित्सक जो इंट्यूबेशन (intubation) में सक्षम हो, को पुर्नतैनात किया जा सकता है।

7. **प्रशिक्षण**

जिलाधिकारियों / मुख्य चिकित्साधिकारियों / मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा अपने–अपने जनपद में 02 चिकित्सकों एवं 02 नर्सों को चिन्हित किया जायेगा, जिन्हें कोविड प्रबन्धन प्रोटोकॉल में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। इन चिन्हित मास्टर ट्रेनर की सूची ईमेल आई0डी0–covidhospitals@gmail.comपर दिनांक 24 मार्च, 2020 तक निम्नवत् प्रारूप में प्रेषित की जाए :–

जनपद का नाम	इएचएमआरएस आई0डी0	चिन्हित स्टाफ का नाम	चिकित्सक / नर्स
1	2	3	4

उक्त मास्टर ट्रेनर्स को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांक 25 मार्च, 2020 को अपरान्ह 3.00 बजे प्रशिक्षित किया जायेगा।

उक्तमास्टर ट्रनर्स द्वारा अपने–अपने जनपदों में समस्त चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा सी0एच0ओ0 को कई सत्रों में सोशल डिस्टेन्सिंग संबंधी सावधानीपर्याप्त रूप से अपनाते हुए प्रशिक्षित किया जायेगा। कोविड समर्पित स्तर–1 एवं स्तर–2 चिकित्सा इकाईयों के लिए चिन्हित चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को पहले प्रशिक्षित किया जायेगा और उनका विवरण ईमेल आई0डी0–covidhospitals@gmail.com पर दिनांक 26 मार्च, 2020 तक प्रेषित किया जायेगा और तदोपरान्त अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त, कोविड समर्पित स्तर–1 एवं स्तर–2 चिकित्सा इकाईयों में तैनात चिकित्सकों एवं नर्सों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य के समस्त नियमित एवं संविदात्मक

चिकित्सकों एवं नर्सों से कोविड पर ऑनलाइन प्रशिक्षण माड्यूल को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। इसका वीडियों लिंक एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रत्येक चिकित्सक को व्यक्तिगत रूप से भेजा जायेगा जो प्रशिक्षण को 25 मार्च, 2020 से अपने डिवाइस पर देख सकते हैं। इसे राज्य स्तर से ट्रैक किया जायेगा।

नर्सिंग कौन्सिल में गत 05 वर्षों में पंजीकृत नर्सों की सूची **संलग्नक–5** (ईमेल के माध्यम से उपलब्ध) पर उपलब्ध है। मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा उनसे सम्पर्क नम्बर पर कॉल करके इस सूची की वैधता कीपुष्टिकी जा सकती है और इन नर्सों की सेवाओं की भविष्य में आवश्यकता पड़ने के दृष्टिगत इन्हें स्टैण्डबाई में रखा जा सकता है।

8. लॉजिस्टिक्स :

उक्त कोविड समर्पित चिकित्सा इकाईयों में आवश्यक लॉजिस्टिक्स जैसे– पैरासीटामाल, आक्सीजन, पी0पी0ई0, मास्क, वेन्टीलेटर्स आदि का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण आवश्यक है। जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा वर्तमान में उपलब्ध उपकरणों एवं उपभोग्य सामग्रियों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 15 दिवसों हेतु चिकित्सा इकाईवार आवश्यक लॉजिस्टिक्स निम्न प्रारूप में दिनांक 23 मार्च, 2020 तक ईमेल आई0डी0–covidhospitals@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायें :–

चिकित्सा इकाई का नाम	**उपकरण एवं उपभोग्य सामग्री का नाम**	**वांछित संख्या**
1	2	3

उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन (यू0पी0एम0एस0सी0) द्वारा उक्त वांछित लाजिस्ट्क्स को यथासंभव अधिकाधिक एवं यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा वर्तमान स्थिति में विद्यमान सामग्रियों के सावधानीपूर्वक उपयोग किया जायेगा। लॉजिस्ट्क्स को तैयारी करने की चेकलिस्ट **अनुलग्नक–6** पर संलग्न है जिसे जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा भरकर ईमेल आई0डी0–**covidhospitals@gmail.com** पर भेजी जाय।

मुख्य चिकित्साधिकारी लॉजिस्टिक व्यवस्था हेतु एक ए.सी.एम.ओ. स्तर के अधिकारी को नोडल नामित करना सुनिश्चित करें एवं उक्त नामित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर भी निम्नलिखित प्रारूप पर **covidhospitals@gmail.com**उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:

जनपद का नाम	**नामित अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**मोबाइल नम्बर**	**ईमेल**

प्रश्नगत गम्भीर प्रकरण से संबंधित उक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उक्त योजना के अन्तर्गत जन–सामान्य के हितार्थ पारित सभी निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन करते हुए सभी अपेक्षित सूचनाएं समयन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

प्रदेश में कोरोनावायरस संक्रमण के प्रकोप की गम्भीर स्थिति के दृष्टिगत सभी संबंधितों से उच्च प्राथमिकता पर तात्कालिक कार्यवाही अपेक्षित है, जिसमे किसी भी प्रकार की उदासीनता एवं शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

23.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव

संख्या– 602 (1) / पांच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
6. निदेशक, एन0सी0डी0सी0, 22 शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलीन अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

23/3/2020

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

vk sir.go-com4